

सं. वीपीएस-27/01/2021-22-प्रशासन
उपराष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली

10 जून, 2021


कार्यालय आदेश सं. 59-ए/2021

**विषय:- कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का निवारण-केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण)
नियमावली 1964 और शिकायत निवारण तंत्र का गठन**

इस सचिवालय के कार्यालय आदेश संख्या 105/2009 दिनांक 27 अक्टूबर, 2009 के क्रम में, उपराष्ट्रपति सचिवालय की शिकायत समिति की संशोधित संरचना निम्नानुसार होगी:-

- | | |
|--|---------|
| 1. श्रीमती हुरबी शकील, अवर सचिव | अध्यक्ष |
| 2. श्री पवन सिंह बिष्ट, अनुभाग अधिकारी | सदस्य |
| 3. श्रीमती सरिता चौहान, अनुभाग अधिकारी | सदस्य |
| 4. श्रीमती अमिता गौड़, सचिवालय सहायक,
राज्य सभा सचिवालय | सदस्य |

यह सचिवालय के कार्यालय आदेश संख्या 06/2017 दिनांक 06.01.2017 के स्थान पर लागू होता है।



(अशोक दीवान)
संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि:-

1. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव का कार्यालय
2. संयुक्त सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय
3. भारत के उपराष्ट्रपति के निजी सचिव
4. भारत के उपराष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी
5. श्रीमती हुरबी शकील, अवर सचिव
6. श्री पवन सिंह बिष्ट, अनुभाग अधिकारी
7. श्रीमती सरिता चौहान, अनुभाग अधिकारी
8. श्रीमती अमिता गौड़, सचिवालय सहायक, राज्य सभा सचिवालय
9. सभी अधिकारी/अनुभाग/निजी सचिव तथा लेखा अनुभाग
10. एनआईसी, आवश्यक कार्यवाही हेतु
11. सूचना पट्ट